



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सर्किल/189

27/05/2025

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में 01.05.2025 से होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप RoDTEP अनुसूची के संरेखण के संबंध में।

संदर्भ: DGFT अधिसूचना संख्या: 10/2025/26, नई दिल्ली, दिनांक, 26 मई, 2025

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा परिशिष्ट 4आर में संशोधन किया जा रहा है।

अर्थात् 01.05.2025 से RoDTEP योजना के लिए दरों और अधिकतम सीमा की अनुसूचियां:

उपरोक्त पैरा में एचएस कोड का विवरण तथा RoDTEP दरें/मूल्य सीमाएँ DGFT पोर्टल www.dgft.gov.in पर 'विनियमन>RoDTEP' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

इस अधिसूचना का प्रभाव: वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप, RoDTEP अनुसूची (परिशिष्ट 4R) में 01.05.2025 से कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के साथ संरेखित किया जा सके। इन वस्तुओं के लिए RoDTEP दरें 01.05.2025 से प्रभावी हैं, जो संलग्न पीडीएफ की तालिका में दर्शाई गई हैं।

RoDTEP के अंतर्गत दरों के लिए - परिशिष्ट 4R/4RE के अंतर्गत दरों के लिए, कृपया यहां क्लिक करें
<https://www.dgft.gov.in/CP/index.jsp?opt=RoDTEP>

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,

भारती पारवे
उप निदेशक – व्यापार एवं नीति
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद